



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226182
CG-DL-E-27032021-226182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1259]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1363(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में NH-965 के कि.मी. 59.000 से कि.मी. 117.00 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अधिकारी, मलसिरस को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के 59.000 कि.मी. से 117.000 कि.मी तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मालशिरस					
गांव का नाम: दसूर					
1	252	निजी	एग्रीकल्चर	0.2975000(हेक्टेयर)	0.2975000
गांव का नाम: डोम्बालवाडी					
1	118	निजी	एग्रीकल्चर	0.0172000(हेक्टेयर)	0.0172000
गांव का नाम: मालशिरस					
1	2363	निजी	एग्रीकल्चर	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
2	2364	निजी	एग्रीकल्चर	0.0625000(हेक्टेयर)	0.0625000
3	575	निजी	एग्रीकल्चर	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
4	576	निजी	एग्रीकल्चर	0.0045000(हेक्टेयर)	0.0045000
5	577	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0335000(हेक्टेयर)	0.0335000
6	582	निजी	एग्रीकल्चर	0.0485000(हेक्टेयर)	0.0485000
गांव का नाम: माण्डवे					
1	1011	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101000(हेक्टेयर)	0.0101000
2	975	निजी	एग्रीकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: मोरुची					
1	123	निजी	एग्रीकल्चर	0.4434000(हेक्टेयर)	0.4434000
2	196	निजी	एग्रीकल्चर	0.0382000(हेक्टेयर)	0.0382000

गांव का नाम: पनिव					
1	215	निजी	एग्रीकल्चर	0.0345000(हेक्टेयर)	0.0345000
गांव का नाम: तोंडले					
1	21	निजी	एग्रीकल्चर	0.1165000(हेक्टेयर)	0.1165000
गांव का नाम: वेलापूर					
1	1090	निजी	एग्रीकल्चर	0.2296000(हेक्टेयर)	0.2296000
2	1101	निजी	एग्रीकल्चर	0.1937000(हेक्टेयर)	0.1937000
3	1110	निजी	एग्रीकल्चर	0.2737000(हेक्टेयर)	0.2737000
4	1381	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0363000(हेक्टेयर)	0.0363000
5	1461	निजी	एग्रीकल्चर	0.2257000(हेक्टेयर)	0.2257000
6	1463	निजी	एग्रीकल्चर	0.0245000(हेक्टेयर)	0.0245000
7	1497	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.5755000(हेक्टेयर)	0.5755000
8	1498	निजी	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
9	1791	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1411000(हेक्टेयर)	0.1411000
10	247	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0727000(हेक्टेयर)	0.0727000
11	248	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0638000(हेक्टेयर)	0.0638000
12	249	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0746000(हेक्टेयर)	0.0746000
13	250	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0115000(हेक्टेयर)	0.0115000
14	251	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0593000(हेक्टेयर)	0.0593000
15	252	निजी	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.1648000(हेक्टेयर)	0.1648000
16	Gaothan	अन्य	नॉन एग्रीकल्चर	0.0320000(हेक्टेयर)	0.0320000
गांव का नाम: एलिव					
1	208	निजी	एग्रीकल्चर	0.0688000(हेक्टेयर)	0.0688000
कुल				3.4675	3.4675

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 (A) of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening to Four/Six lane including bypasses etc), maintenance management and operation of National highway No. 965 in the stretch of land from Km. 59+000 to Km. 117+000 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra, here by declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under the sub-section(1) of section (3) (c) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority. Namely the Sub Divisional Officer, Malshiras in writing and shall set-out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by orders, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3(C) of the said Act, shall be final.

The land plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 59/000 to Km. 117/000 Section of NH - 965 in Solapur district in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: SOLAPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Malshiras					
Village: Dasur					
1	252	Private	Agriculture	0.2975000(Hectare)	0.2975000
Village: Dombalwadi					
1	118	Private	Agriculture	0.0172000(Hectare)	0.0172000
Village: Malshiras					
1	2363	Private	Agriculture	0.0015000(Hectare)	0.0015000
2	2364	Private	Agriculture	0.0625000(Hectare)	0.0625000
3	575	Private	Agriculture	0.0020000(Hectare)	0.0020000
4	576	Private	Agriculture	0.0045000(Hectare)	0.0045000

5	577	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0335000(Hectare)	0.0335000
6	582	Private	Agriculture	0.0485000(Hectare)	0.0485000
Village: Mandave					
1	1011	Private	Agriculture	0.0101000(Hectare)	0.0101000
2	975	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Village: Morochi					
1	123	Private	Agriculture	0.4434000(Hectare)	0.4434000
2	196	Private	Agriculture	0.0382000(Hectare)	0.0382000
Village: Paniv					
1	215	Private	Agriculture	0.0345000(Hectare)	0.0345000
Village: Tondale					
1	21	Private	Agriculture	0.1165000(Hectare)	0.1165000
Village: Velapur					
1	1090	Private	Agriculture	0.2296000(Hectare)	0.2296000
2	1101	Private	Agriculture	0.1937000(Hectare)	0.1937000
3	1110	Private	Agriculture	0.2737000(Hectare)	0.2737000
4	1381	Private	Non Agriculture	0.0363000(Hectare)	0.0363000
5	1461	Private	Agriculture	0.2257000(Hectare)	0.2257000
6	1463	Private	Agriculture	0.0245000(Hectare)	0.0245000
7	1497	Private	Non Agriculture	0.5755000(Hectare)	0.5755000
8	1498	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
9	1791	Private	Non Agriculture	0.1411000(Hectare)	0.1411000
10	247	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0727000(Hectare)	0.0727000
11	248	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0638000(Hectare)	0.0638000
12	249	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0746000(Hectare)	0.0746000
13	250	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0115000(Hectare)	0.0115000
14	251	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.0593000(Hectare)	0.0593000
15	252	Private	Agriculture / Non Agriculture	0.1648000(Hectare)	0.1648000
16	Gaothan	Common	Non Agriculture	0.0320000(Hectare)	0.0320000
Village: Yeliv					
1	208	Private	Agriculture	0.0688000(Hectare)	0.0688000
Total				3.4675	3.4675

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director